<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 480

20 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं में घरेलू इस्पात का उपयोग

480. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमारः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं में घरेलू इस्पात का उपयोग करने के संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में ऐसी कोई घटना आई है जिसमें सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं में घरेलू इस्पात का उपयोग अनिवार्य किए जाने के बाद भी इसका उपयोग न किया गया हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में सरकार ने राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, आवासों, हर घर को पाइप से जल आपूर्ति आदि जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में लगभग 100 लाख करोड़ रुपये व्यय करने की इच्छा जताई है। इन सभी पहलों में इस्पात का प्रयोग किया जाएगा। इस्पात मंत्रालय के आकलन के अनुसार, देश में इस्पात की कुल आवश्यकता वर्ष 2024-25 तक बढ़कर 165 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) होने की संभावना है।

घरेलू विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएसपी) नीति 2017, जो बाद में मई 2019 में सशोधित की गई थी, के माध्यम से अब केन्द्र सरकार की एजेंसियों के साथ-साथ उनके ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) ठेकेदारों के लिए केवल घरेलू स्तर पर विनिर्मित इस्पात का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। हालांकि, यह नीति वर्तमान में राज्य सरकारों पर लागू नहीं है।

(ग) और (घ): जी नहीं। केन्द्र सरकार के विभागों तथा एजेंसियों के संबंध में इस्पात मंत्रालय के संज्ञान में कोई मामला नहीं आया है।

****